# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

**पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.**

**अपील संख्या:– 140/2023 (GCMS No. 2023/148) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)**

1. विद्या वेवा सुखचन्दी जाति जाटव निवासी तमरैर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलार्थीनी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.)।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायायल अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 30.01.2008 मुकदमा नं. 10/08 उनवानी विद्या बनाम राज. सरकार।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री महाराजसिंह डागुर, वकील

**नि र्ण य** **दिनांक : 21.05.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 30.01.2008 एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर के आदेश दिनांक 28.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 1015 रकवा 0.01 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता वांके ग्राम तमरेर तहसील कुम्हेर पर जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार कुम्हेर ने अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये विवादित आराजी से बेदखल कर शास्ती से आरोपित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के यहॉ की, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कुम्हेर के निर्णय को यथावत रखते हुये अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं आया।
3. अपीलांट के अभिभाषक को अपील पर सुना गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी को पंचायत समिति कुम्हेर द्वारा सन् 1975 में आवास के लिए विधिवत रूप से आवंटित की गई। आवंटन होने के दिन से ही अपीलार्थी विवादित भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। रास्ते की भूमि अपीलार्थी के कब्ज की भूमि से अलग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता मानकर भूल की है। विवादित आराजी के पास रास्ते की काफी चौडाई है और रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। विवादित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ काम में आ रही है जो आबादी की संज्ञा में आती है। विवादित भूमिखण्ड के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उसके हक में अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किया हुआ है और उत्तरवादी को पाबन्द किया है। न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन नहीं कराया गया। पटवारी हल्का के बयान भी अभिलिखित नहीं किये गये। राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को रास्ते की भूमि गलत अंकित किया है। यह आबादी भूमि है और अपीलार्थी के स्वामित्व की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 30.01.08 एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर का आदेश दिनांक 28.11.07 निरस्त किया जावे तथा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट खारिज किया जावे।

4. विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 1015 रकवा 0.01 गै.मु. रास्ता पर संवत् 2064 में गौत डालकर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को पेश की। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी द्वारा नोटिस का जबाब पेश किया तथा जबाब में आराजी खसरा नम्बर 1015 वांके ग्राम तमरेर पर प्रार्थी का गैतवाडा बना हुआ है जिसमें पूर्वजों के समय से ही वृक्ष लगे हुये है और ईंधन, उपला व बुर्जी आदि सामान रखा हुआ स्वीकार किया है तथा अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त भूमि प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कोई स्वत्व अतिक्रमी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अनुरूप पारित किये गये है जिनमें हम किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपीलांट की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 30.01.08 एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर का आदेश दिनांक 28.11.07 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर